सत्र प्रकरण क्रमांक 188/2018
(अभियोजन साक्षी क्र–19)

II-157
C.J.

Witness no. ....**19**.............for ....**अभियोजन साक्षी**..........Deposition taken

the........day of..........**28.05.2019**..........Witness's apparent age.............**54 वर्ष**.........

States on affirmation.......**शपथपूर्वक**.......My name is.......**एस.आर.नेताम**...........

Son of ....**स्व.श्री पंडितराम नेताम**........occupation.................**उपनिरीक्षक**.................

addres........**थाना पखांजुर, जिला कांकेर, छ.ग.** ....

1– मैं दिनांक 13.04.2018 को थाना धरसीवां में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। मुझे थाना प्रभारी धरसीवां से जानकारी प्राप्त हुई कि घटनास्थल तनिष्का फैंसी स्टोर्स, ग्राम पंचायत शापिंग काम्पलेक्स दुकान नंबर 5 में किसी महिला को आग से जला दिया गया है। उक्त सूचना पर मैं घटनास्थल जाकर सूचक राकेश देवांगन के बताए अनुसार देहाती नालिशी प्रदर्श पी 5 दर्ज किया, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

2– उसी दिनांक को मेरे व्दारा दोनों आहत श्रीमती शारदा वर्मा एवं प्रीत लाल बंजारे को मुतजरर फार्म भरकर सीएचसी धरसीवां भेजा था। मुतजरर फार्म क्रमशः प्रदर्श पी 17 एवं प्रदर्श पी 18 है, जिनके पृष्ठ के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। इसके पश्चात मेरे व्दारा एक आवेदन सीएमओ, धरसीवां को आहत श्रीमती शारदा वर्मा के मरनासन्न कथन लेखबद्व किये जाने हेतु दिया था, जिसमें डॉक्टर व्दारा श्रीमती शारदा वर्मा को कथन देने योग्य नहीं होना बताया गया, उक्त आवेदन प्रदर्श पी 19 है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

3– उसी दिनांक को मेरे व्दारा थाना धरसीवां में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया, जो **प्रदर्श पी 26** है, जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को राकेश देवांगन के बताए अनुसार घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था, जो **प्रदर्श पी 27** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को मेकाहारा

Witness no. ....**19**.............for ....**अभियोजन साक्षी**..........Deposition taken

अस्पताल, रायपुर जाकर मेकाहारा के डाक्टर को श्रीमती शारदा वर्मा एवं प्रीतलाल बंजारे का मरनासन्न कथन लिये जाने के संबंध में एक आवेदन दिया था, जो **प्रदर्श पी 28** है।

4– उसी दिनांक को मुतजरर शारदा वर्मा के पिता रामप्रसाद वर्मा व्दारा मेकाहारा अस्पताल से लाये जाने पर थाना धरसीवां में एक सीलबंद पैकेट जिसमें शारदा वर्मा के एक लाल रंग की अधजली पेटीकोट जिसमें पेट्रोल जैसी गंध आ रही थी, एक सीलबंद पैकेट जिसमें अधजली एक कत्था कलर की साडी जिसमें पेट्रोल जैसी गंध आ रही थी, एक लाल रंग का ब्रा जिसमें पेट्रोल जैसी गंध आ रही थी, एक काले रंग की अधजली चडडी जिसमें पेट्रोल जैसी गंध आ रही थी जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 6 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

5– दिनांक 14.04.2018 को घटनास्थल से गवाहों के समक्ष एक सीलबंद डिब्बे में एक अधजली प्लास्टिक का बाटल जिसमें पेट्रोल जैसी गंध आ रही थी, एक सीलबंद डिब्बा में बरामदे में सुखे खून के धब्बे को खुरेचकर निकाले अवशेष, एक सीलबंद डिब्बा में दराज के पास से सुखे खून के धब्बे खुरेचकर निकाले हुए अवशेष, एक सीलबंद डिब्बा में घटनास्थल के पास से सादी सीमेंट फर्श के अवशेष, एक सीलबंद डिब्बा में दराज में प्लाईउड में लगी खून प्लाईउड के दो टुकडे, एक सीलबंद डिब्बा में शारदा वर्मा के सिर के बाल, एक सीलबंद पैकेट में सब्जी काटने का चाकू लकडी का बेठ लगा लंबाई 9 इंच, फल की लंबाई साढे 4 इंच तथा बेठ की लंबाई साढे 4 है, जिसके फल एवं बेठ में खून जैसे धब्बे दिख रहा है, एक सीलबंद डिब्बा में एक लाल कलर का एल्बा कंपनी का लाईटर, एक सीलबंद डिब्बा में एक संगीत कंपनी का माचिस जिसमें 12 नग जिंदा तिल्ली, एक सीलबंद डिब्बा में माचिस की एक जली हुई तिल्ली, एक सीलबंद पैकेट में आरोपी प्रीतलाल बंजारे की अधजली हाफ सफेद सेंडो बनियान गवाहों के समक्ष घ टनास्थल से जप्त किया। उक्त जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 1 एवं प्रदर्श पी 2 है जिनके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

Witness no. ....**19**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

6– दिनांक 14.04.2018 को गवाह रामप्रसाद वर्मा थाना लाकर पेश करने पर मुतजरर शारदा वर्मा की एक लाल रंग की स्कूटी क्रमांक सीजी 04/एलएफ–7425 गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 11 है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

7– दिनांक 23.04.2018 को मुतजरर शारदा वर्मा की भतीजी सुमन वर्मा व्दारा थाना लाकर पेश करने पर मृतिका श्रीमती शारदा वर्मा ग्राम मोहदी का आग से जली अवस्था जिसके गले में चाकू जैसे वस्तु से काटने के निशान है, पोस्टकार्ड साईज का 4 नग फोटो गवाहों के समक्ष जप्त किया था जो आर्टिकल ए–1, ए–2, ए–3 एवं ए–4 है, जिसे प्रदर्श पी 8 के अनुसार जप्त किया था, जिसके द से द भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

8– दिनांक 14.04.2018 को घटनास्थल का पंचनामा गवाहों के समक्ष तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 3 है, जिसके द से द भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मुतजरर श्रीमती शारदा वर्मा की दिनांक 17.04.2018 को इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर के बिना नंबरी मर्ग इंटीमेशन पर से नंबरी मर्ग इंटीमेशन क्रमाक 53/2018 दर्ज किया, जो **प्रदर्श पी 29** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 17.04.2018 को नक्शा पंचनामा तैयार करने के पूर्व मैंने गवाहों को धारा 175 दं.प्र.सं. का नोटिस दिया था, नोटिस प्रदर्श पी 13 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। इसके पश्चात नक्शा पंचायतनामा गवाहों के समक्ष तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 14 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

9– इसके पश्चात आरक्षक क्र. 1746 रूपचंद कोर्राम को शव का पोस्टमार्टम कराने हेतु डयूटी सर्टीफिकेट प्रदान किया था, जो **प्रदर्श पी 30** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

10– दिनांक 17.04.2018 को ही मृतिका श्रीमती शारदा वर्मा के शव का परीक्षण कराने हेतु आवेदन प्रेषित किया था, जो **प्रदर्श पी 31** है, जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

Witness no. ....**19**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

11– दिनांक 19.04.2018 को घटनास्थल का पटवारी नक्शा प्रदान करने हेतु तहसीलदार को आवेदन पत्र दिया था, जो प्रदर्श पी 9 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

12– दिनांक 17.05.2018 को प्रकरण में जप्तशुदा चाकू का क्वेरी कराने हेतु सीएचसी धरसीवां को आवेदन पत्र दिया था जो **प्रदर्श पी 32** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

13– दिनांक 19.04.2018 को मृतिका श्रीमती शारदा वर्मा का बेडहेड टिकट प्रदान करने हेतु संचालक, कालडा अस्पताल, पचपेडी नाका रायपुर को आवेदन दिया था, जो **प्रदर्श पी 33** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को मृतिका शारदा वर्मा के बेडहेड टिकट प्रदान करने हेतु संचालक, मेकाहारा अस्पताल रायपुर को आवेदन दिया था, जो **प्रदर्श पी 34** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

14– विवेचना के दौरान मैंने गवाह राकेश देवांगन, रोहित कुमार सेन, सलमान खान, सुमन वर्मा, रामप्रसाद वर्मा, बिसवंतीनबाई, श्रीराम साहू, का कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्व किया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री देवेश दीक्षित अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त :–

15– मुझे घटना की प्रथम जानकारी धरसीवां थाने के थाना प्रभारी श्री भूषण एक्का के व्दारा प्रदान की गयी थी। आहतगण मेरे घटनास्थल पहुंचने के पहले ही सीएचसी धरसीवां जा चुके थे। मैं स्वयं अस्पताल धरसीवां गया था जहां मैंने दोनों ही आहतगण का मुतजरर फार्म प्रदर्श पी 17 एवं 18 के अनुसार भरकर पदस्थ डाक्टर को दिया था। यह कहना सही है कि मुझे प्रदर्श पी 17 एवं 18 के मुतजरर फार्म भरते समय घटना की जो भी जानकारी थी उसका इन्द्राज मैंने मुतजरर फार्म में किया था। यह कहना सही है कि मैंने आहत शारदा वर्मा के मुलाहिजा फार्म में स से स आज दिनांक 13.04.2018 को करीब 13.00 बजे आग से जल गयी है, का

उल्लेख किया है। यह कहना सही है कि उक्त मुलाहिजा फार्म में आहत शारदा वर्मा को किसी ने जलाया इस बात का हवाला नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने आहत प्रीतलाल बंजारे के मुलाहिजा फार्म में स से स आज दिनांक 13.04.2018 को करीब 13.00 बजे आग से जल गया है, का उल्लेख किया है। यह कहना सही है कि उक्त मुलाहिजा फार्म में आहत प्रीतलाल बंजारे को किसी ने जलाया इस बात का हवाला नहीं है।

16– यह कहना सही है कि मैंने धरसीवां अस्पताल में रहते हुए ही आहत शारदा वर्मा का मरनासन्न कथन हेतु प्रदर्श पी 19 के अनुसार आवेदन दिया था। यह कहना भी सही है कि उक्त प्रदर्श पी 19 के आवेदन में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि आहत शारदा वर्मा दिनांक 13.04.2018 को आग से जल गयी है। यह कहना भी सही है कि उक्त आवेदन में इस बात का हवाला नहीं है कि आहत शारदा वर्मा को किसी ने पेट्रोल डालकर जला दिया है। यह कहना सही है कि डाक्टर ने प्रदर्श पी 19 के प्रतिवेदन में ही आहत शारदा वर्मा के मरनासन्न कथन के बाबत यह राय दी थी कि आहत शारदा कथन देने योग्य नहीं है।

17– मैं आहत शारदा वर्मा को धरसीवां अस्पताल से मेकाहारा अस्पताल रायपुर रिफर किये जाने के पश्चात थाना धरसीवां गया था। यह कहना गलत है कि मैं धरसीवां अस्पताल गया ही नहीं था। यह कहना सही है कि दोनों ही आहतगण को सीएचसी धरसीवां कौन लेकर गया था इस बात का कोई इन्द्राज प्रदर्श पी 17 एवं 18 में नहीं है। धरसीवां अस्पताल से मेकाहारा अस्पताल आहत शारदा वर्मा को उसके परिजन लेकर गये थे। यह कहना सही है कि कोई भी पुलिस वाला धरसीवां अस्पताल से मेकाहारा अस्पताल रायपुर आहतगण के साथ नहीं गया था।

18– थाना धरसीवां से घटना की सूचना प्राप्त होने के पश्चात जब मैं घटनास्थल के लिए रवाना हुआ था तो थाना में रवानगी दर्ज किया था। यह कहना सही है कि थाने में जो मैंने घटनास्थल जाने की रवानगी के बाबत इन्द्राज किया था उससे संबंधित दस्तावेज प्रकरण में

Witness no. ....**19**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

संलग्न नहीं किया है। यह कहना सही है कि थाना धरसीवां वापस आने के बाद मैंने जो आमद डाली थी उससे संबंधित दस्तावेज भी प्रकरण में संलग्न नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं थाने से सीधा धरसीवां अस्पताल गया था।

19– यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 5 की देहाती नालिशी मैंने अपने मन से लिख दी थी। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 5 की देहाती नालिशी के बाबत राकेश देवांगन ने कुछ भी नहीं बताया था। मैंने प्रदर्श पी 26 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी थी। यह कहना सही है कि संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजे जाने वाली पावती प्रकरण में संलग्न नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी थी। यह कहना गलत है कि मैंने बाद में अपने मन से प्रदर्श पी 26 की रिपोर्ट लिख ली थी। यह कहना गलत है कि इसी कारण से प्रदर्श पी 26 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मजिस्ट्रेट को भेजने की पावती प्रकरण में संलग्न नहीं है।

20– यह कहना सही है कि घटना की सूचना प्राप्त करने के पश्चात जब मैं घ टनास्थल गया था तब घटनास्थल का मुआयना किया था। यह कहना सही है कि उस समय मैंने मौका नक्शा नहीं बनाया था। यह कहना सही है कि मैंने घटना दिनांक को घटनास्थल पहुंचने के बाद घटनास्थल को सील नहीं किया था। यह कहना भी सही है कि घटना दिनांक को घटना के तुरंत पश्चात पहुंचने के बाद भी मैने घटनास्थल से कोई जप्ती नहीं की थी। यह कहना भी सही है कि मैंने घटना के तुरंत पश्चात घटनास्थल दुकान के मुआयना के बाद भी दुकान को सीलबंद करने का स्थल पंचनामा नहीं बनाया था। यह कहना है कि मैंने प्रदर्श पी 27 का घटनास्थल का नक्शा दिनांक 14.04.2018 को 2.00 बजे दोपहर बनाया था।

21– यह कहना सही है कि मैंने घटनास्थल तनिष्का फैंसी स्टोर्स से प्रदर्शपी 1 एवं 2 के अनुसार जप्ती दिनांक 14.04.2018 को दोपहर डेढ़ बजे की थी। यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी 1 व 2 के अनुसार घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त चाकू की जप्ती कर सीलबंद किया

Witness no. ....**19**.............for ....**अभियोजन साक्षी**..........Deposition taken

था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 27 के नक्शे में मैंने घटनास्थल पर जो भी चीज जिन जिन स्थिति पर पडी थी उनका इन्द्राज प्रदर्श पी 27 के नक्शे में किया था। यह कहना गलत है कि नक्शा बनाते समय घटना में प्रयुक्त चाकू जिसका इन्द्राज मैंने प्रदर्श पी 27 के नक्शे में किया है, वह घटनास्थल पर पडा ही नही था।

22– यह कहना सही है कि घटना में प्रयुक्त चाकू एक नग ही था। यह कहना सही है कि मैंने आरक्षक 2460 संपतलाल से दिनांक 17.05.2018 को शाम 5.00 बजे एक चाकू की जप्ती की थी। गवाह का स्वतः कथन है कि उक्त चाकू को क्वेरी हेतु भेजा गया था जिसे अस्पताली सीलबंद हालत में जप्त किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 20 जप्तीपत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आरक्षक संपतलाल को चाकू की क्वेरी हेतु धरसीवां अस्पताल भेजा गया था।

टीपः– इस स्तर पर न्यायालयीन समय समाप्त होने के कारण साक्षी प्रति परीक्षण स्थगित किया गया।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(सुनील कुमार नंदे)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

(सुनील कुमार नंदे)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर ....

Witness no. ....**19**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

टीप :– आज दिनांक 07.06.2019 को साक्षी एस.आर.नेताम उपस्थित है। साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर प्रति परीक्षण प्रारंभ किया गया।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री देवेश दीक्षित अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त :–

23– यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 27 के नजरी नक्शा में चाकू, खून के धब्बे के अलावा प्रदर्श पी 1 एवं 2 के अनुसार घटनास्थल से जितने भी सामान की मैंने जप्ती की थी उनका चित्रण प्रदर्श पी 27 के नजरी नक्शा में नहीं किया है। मैंने प्रदर्श पी 27 का नजरी नक्शा दिनांक 14.04.2018 को दोपहर 2.00 बजे बनाया था। यह कहना सही है कि मैंने घटनास्थल से प्रदर्श पी 1 के अनुसार सब्जी काटने के चाकू को दिनांक 14.04.2018 को 13.30 बजे जप्त किया था। यह कहना भी सही है कि चाकू को जप्ती पश्चात सीलबंद कर दिया था।

24– यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 27 का नजरी नक्शा बनाते समय घटनास्थल पर चाकू नहीं था। यह कहना भी गलत है कि मैंने बाजार से खरीदकर उक्त चाकू की जप्ती बना ली है। यह कहना गलत है कि मैंने प्रदर्श पी 1 एवं 2 के अनुसार घटनास्थल से कोई जप्ती नहीं की थी। यह कहना भी गलत है कि मैंने प्रदर्श पी 1 एवं 2 की जप्ती की संपूर्ण कार्यवाही थाने में की थी और उक्त जप्ती पत्रक पर थाने में ही गवाहों के हस्ताक्षर करवाये थे।

25– यह कहना गलत है कि मैंने प्रदर्श पी 1 एवं 2 में जप्तशुदा सामानों को सीलबंद हालत में ही प्राप्त किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 एवं 2 में जप्तशुदा सभी सामान पृथक पृथक से इस बात का इन्द्राज है कि सभी आर्टिकल सीलबंद थे। यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी 1 एवं 2 में नमूना सील का हवाला नहीं दिया है। यह कहना गलत है कि मैंने घटनास्थल से कोई जप्ती कार्यवाही नहीं किया है। यह कहना गलत है कि राकेश न तो घटनास्थल पर उपस्थित था और न ही उसने घटना के बाबत कोई जानकारी दी थी।

26– यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी 27 के नक्शे में प्लास्टिक की बाटन का चित्रण नहीं किया है। यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी 27 के नजरी नक्शे में मृतिका एवं

Witness no. ....**19**.............for ....**अभियोजन साक्षी**..........Deposition taken

आरोपी के अधजले कपडे का चित्रण नहीं किया है। यह कहना सही है कि मैंने मृतिका के जले हुए कपडे के राख की जप्ती नहीं बनायी है। यह कहना भी सही है कि मैंने आरोपी की शर्ट को घटनास्थल से जप्त नहीं किया था। यह कहना सही है कि मुझे आरोपी का शर्ट जली हुई हालत में या साबुत नहीं मिला था इसलिए मैंने उसे घटनास्थल से जप्त नहीं किया था।

27– यह कहना सही है कि मैंने घटनास्थल से स्कूटी की चाबी जप्त नहीं की थी। यह कहना सही है कि मैंने धरसीवां या मेकाहारा अस्पताल से मृतिका के घटना के समय पहने हुए कपडों की जप्ती नहीं बनायी थी। यह कहना गलत है कि मृतिका शारदा के पिता ने प्रदर्श पी 6 के अनुसार मृतिका के कपडों की जप्ती थाने में नहीं करवायी थी। यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी 1 एवं 2 के अनुसार घटनास्थल से एक अधजली बनियान जप्त किया था, जिसकी पहचान कार्यवाही मैंने नहीं करवायी थी।

28– यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 14 के नक्शा पंचायतनामा में मृतिका शारदा वर्मा के शव का पंचनामा करते समय मैंने या पंचान साक्षियों ने उसके गले में चाकू के कटे का निशान नहीं देखा था। यह कहना सही है कि यदि मृतिका के गले में चाकू के कटे का निशान होता तो उसका इन्द्राज प्रदर्श पी 14 के नक्शा पंचायतनामा में अवश्य करता। यह कहना गलत है कि साक्षी सुमन वर्मा ने प्रदर्श पी 8 के अनुसार 04 फोटो मुझे जप्त नहीं करवाया था।

29– कहना सही है कि मैंने घटना दिनांक को घटनास्थल का मुआयना किया था। यह कहना सही है कि उक्त दिनांक को घटनास्थल को सीलबंद नहीं किया था। यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी 3 के स्थल पंचनामा में घटनास्थल पर मोबाईल के पडे होने का उल्लेख किया है। यह कहना सही है कि उक्त मोबाईल की जप्ती मैंने नहीं बनायी है। यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी 3 में घटनास्थल पर पडी हुई एक सफेद रंग की हाफ सेंडो बनियान मिलने का उल्लेख किया है। यह कहना सही है कि उक्त बनियान जली हुई या अधजली हालत में है ऐसा

Witness no. ....**19**.............for ....**अभियोजन साक्षी**..........Deposition taken

मैंने प्रदर्श पी 3 के स्थल पंचनामा में उल्लेख नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मैंने प्रदर्श पी 3 के अनुसार स्थल पंचनामा तैयार नहीं किया था।

30– यह कहना सही है कि मृतिका शारदा को मेकाहारा से कालड़ा बर्न सेंटर में दिनांक 14.04.2018 को 1.47 बजे प्रातः भर्ती किया गया था। मैं यह नहीं बता सकता कि मृतिका शारदा को मेकाहारा अस्पताल से कालड़ा हास्पीटल के लिए कितने बजे डिस्चार्ज किया गया था। यह कहना सही है कि मैंने किसी भी साक्षी का मर्ग बयान नहीं लिया था।

31– यह कहना सही है कि मृतिका शारदा वर्मा मेकाहारा के बर्न यूनिट में भर्ती थी। यह कहना सही है कि संक्रमण न फैले इसलिए बर्न युनिट में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहता है। यह कहना सही है कि मेकाहारा अस्पताल में साक्षी सुमन वर्मा ने घटना के बाबत मुझे कोई बयान नहीं दिया था। यह कहना सही है कि यदि मेकाहारा अस्पताल में साक्षी सुमन वर्मा घटना के बाबत मुझे कोई बयान देती तो मैं उसे अवश्य लिखता। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 29 के मर्ग बयान में इस बात का हवाला है कि मृत्यु का कारण अज्ञात व्यक्ति व्दारा पेट्रोल डालकर आग लगा देना है। मैंने प्रदर्श पी 29 का नंबरी मर्ग दिनांक 17.04.2018 को 4.50 बजे शाम लिखा था।

32– यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी 32 में जप्तशुदा चाकू को क्वेरी हेतु संबंधित डाक्टर को भेजा था उसमें इस बात की क्वेरी चाही थी कि उक्त चाकू में खून के धब्बे लगे हुए है या नहीं। यह कहना सही है कि मैंने मृतिका शारदा वर्मा के शरीर में आई हुई किसी भी चोट के बाबत क्वेरी डाक्टर से नहीं करवायी थी। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि मृतिका के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, इस पर साक्षी का कहना है कि मृतिका के जलने के कारण उसके शरीर के कोई चोट दृष्टिगत नहीं हो रहे थे।

33– यह कहना सही है कि मैंने चाकू जो कि आरक्षक 2460 सम्मतलाल टोंड के पेश करने पर दिनांक 17.05.2018 को जप्त किया था, उसे रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा था। यह

कहना सही है कि उक्त चाकू जो एन क्रमांक से अंकित है, पर रासायनिक परीक्षण में परिणाम अनिश्चित पाये गये हैं। यह कहना गलत है कि मैंने जप्तशुदा सामानों को रासायनिक परीक्षण हेतु नहीं भेजा था। यह कहना गलत है कि मैंने प्रकरण में जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं की थी। यह कहना सही है कि मैंने मृतिका शारदा वर्मा के परिजन सरस्वती बाई, भाई मुकेश वर्मा, इन्द्र कुमार, मृतिका के बच्चे, दोस्त उमेश का बयान नहीं लिया था।

34— साक्षी सुमन वर्मा ने मुझे बयान देते समय ऐसा नहीं बताया था कि शारदा वर्मा के जलने की सूचना पूजा ने फोन पर उसे दी थी, साक्षी ने बयान देते समय मुझे ऐसा भी नहीं बताया था कि आरोपी मौसी की दुकान पर आया और कुछ बोलने के बाद जला दिया था, अगर उपरोक्त सभी बातें साक्षी सुमन वर्मा बयान देते समय बतलाती तो मैं उसके बयान प्रदर्श डी 1 में अवश्य लिखता।

35— यह कहना सही है कि मैंने मृतिका के पिता रामप्रसाद वर्मा से मोटरसायकल की जप्ती नहीं की थी। यह कहना सही है कि मृतिका शारदा वर्मा को घटनास्थल से धरसीवां अस्पताल ले जाने के पूर्व थाना धरसीवां नहीं लाया गया था। यह कहना सही है कि मृतिका के पिता रामप्रसाद से कालड़ा हास्पीटल में मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि मृतिका के पिता रामप्रसाद ने मेकाहारा अस्पताल रायपुर में मुझे कोई बयान नहीं दिया था, अगर रामप्रसाद मेकाहारा अस्पताल में मुझे कोई बयान देता तो मैं उसे अवश्य लिखता।

36— यह कहना सही है कि मैंने मृतिका शारदा के घटना के समय पहने हुए सलवार कुर्ता की जप्ती नहीं की थी। यह कहना गलत है कि मैंने किसी भी साक्षी का कोई बयान नहीं लिया था। यह कहना भी गलत है कि मैंने सभी साक्षियों का बयान अपने मन से लिख लिया है। यह कहना गलत है कि मैंने मृतिका के रिश्तेदार सरस्वती बाई, मृतिका की लडकी तृषा, सोमन वर्मा, भाई मुकेश वर्मा, इन्द्र कुमार और मृतिका का दोस्त उमेश का बयान इस कारण से नहीं लिया था क्योंकि इन सबने मुझे अपने बयान में यह बताया था कि मृतिका ने मिटटीतेल डालकर

सत्र प्रकरण क्रमांक 188/2018
(अभियोजन साक्षी क्र–19)

II-157
C.J.

Witness no. ....**19**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

आग लगाकर स्वयं आत्महत्या की है। यह कहना गलत है कि साक्षी राकेश देवांगन ने मुझे कोई देहाती नालिशी नहीं लिखवायी थी। यह कहना गलत है कि मैंने मृतिका शारदा वर्मा के मरने के बाद आरोपी को फंसाने के लिए झुठी देहाती नालिशी लिख ली थी।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(सुनील कुमार नंदे)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

(सुनील कुमार नंदे)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर ....